प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)
Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No..14

Dated . 1.10/16

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain

relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.005 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, PWD, Ukhimath (name of user agency) for Construction of Talsari took to Gaundar Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Ransi, Gaundar villages in Ukhimath tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.005 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Dr. Raghav Langar)
District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.

Annexure -

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

Rudraprayag district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langar (IAS) District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 0.1 Langer. at time 2:2 m. in Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 4.005 hectare for the construction of Construction of Talsari took to Gaundar Motor Road in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ukhimath Tehsil sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.

(Dr. Raghav Langar)
District Magistrate Cum-Chairman
Disrict Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.



राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी परियोजना का नाम: तोक से गौंडार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, ऊखीमठ

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौंड़ार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, हेतु आरक्षित वन भूमि 2.9170 है० राज्य भूमि 1.035 है०, अर्थात कुल 4.005 है० वन भूमि का प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. ऊखीमठ के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत् अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ऊखीमठ) की दिनांक 06-05-2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिक्रा्रों, की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उत्तर सिहन्ति उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति क्री,अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री उत्तम मिह-सिहार उपजिलाधिकारी द्वार्विक् उप प्रभागीय वनाधिकारी गोपेरवर (चानेला) सदस्य 2- श्री हो व लाल 3- श्री स्त्रित कुमार पाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव 4- श्रीयती अरोही देवी दाहत बीठडीठसीठ क्षेत्र याती, उत्तियका, ग्रीकार सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौंड़ार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 4-005 हैं। वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰ ऊखीमठ के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत् प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत् प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोपेश्वर (चामोलां) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापित्त जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार

समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गाँड़ार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, हेतु 4-005 है० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰ ऊखीमठ को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से

अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने प्राप्त सहमति व्यक्त की गयी।

बी०डी०सी०

सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी

सहायक समाज कल्याण अधिकार

उप प्रभागीय वनाधिकारी

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष

उपखण्ड स्वतिकाशिक्षितिशीर समिति तहसील असी स्थानापद रुद्रप्रयाग

जनपद कद्रप्रयाग

0 प० रांसी, उनियापा, जीण्डा वि० ख० उन्ह्यीयर (कड्ययाम) No. R-38 ST-1919ET 2016@+ 06-05-2016

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रधाग

947-30.3

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौंड़ार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौंड़ार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि, 2.970... हैं। सिविल भूमि. 1.035 हैं।, कुल 4.005. है। वन भूमि को निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जो हो। के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



दिनांक 13/0°/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत <u>अक्टि</u>

rois T	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
क्रमांक		
	भी योर सिंह पुत स्व केशर सिंह	870175
	श्री आलम सिंह पुत स्व ज्वाला सिंह	230 az
	भी कार्तिकसिंहं पुत स्व तारा विहं	conlitt on 18
	श्री इ-द्रिष्टं प्रतस्य की डिगा सिंह	支票件室
5	श्री श्रीच-4 सिंहं पुलक श्याम सिंहं	9117104
6	भी अकु-दी सिंह पुत्र क जाववार सिंह	Maribe
7	श्रीमती रामुद्रा होवी पटनीस बन्दान सिहं	
8	ा ट्यूरी देवी पत्नीस बादर यिंड	
9	≥ी अहेशा सिष्टं पुनस्तिता सिटं	4
10	श्रीमती लन्दा देवी पत्नी स्वा ताम सिंह	7.5

